



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 709) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
22 जुलाई 2021

सं0 सं0-2/आ-70-02/2019-4919/गृ0आ0—श्री त्रिपुरारी प्रसाद, तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक, सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में स्थानापन्न प्रोन्नति दिये जाने के पश्चात् इनके विरुद्ध निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन में पुलिस अवर निरीक्षक के काल में निगरानी थाना काण्ड सं0-22/06 दिनांक 18.04.2006 दर्ज होने का मामला विभाग के संज्ञान में आने पर मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई।

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-2519 दिनांक 31.10.2018 एवं पत्रांक-2631 दिनांक 26.11.2018 द्वारा महानिदेशक पर्षद की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की दिनांक 28.12.2018 को आहूत बैठक में पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में श्री प्रसाद के संबंध में स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु अनुशंसा किया गया, तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक 29.01.2019 द्वारा श्री प्रसाद को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान किया गया।

3. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्री त्रिपुरारी प्रसाद के विरुद्ध पुलिस अवर निरीक्षक के कार्यकाल में निगरानी थाना काण्ड सं0-22/06 दिनांक 18.04.2006 दर्ज रहने के बावजूद इन्हें पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति देते हुए उक्त पद पर सेवा भी संपुष्ट किया गया। निगरानी थाना काण्ड दर्ज रहने के बावजूद श्री प्रसाद को पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति एवं पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु महानिदेशक पर्षद की अनुशंसा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

4. विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने के अनुरोध के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने श्री त्रिपुरारी प्रसाद को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु अपने पत्रांक-2519/एक्स0पी0 दिनांक 31.10.2018 द्वारा पूर्व में की गई अनुशंसा को दिनांक 15.06.2020 को आहूत महानिदेशक पर्वद की बैठक में वापस लेने की सूचना अपने पत्रांक-1102 दिनांक 23.06.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया।

5. उक्त के आलोक में श्री त्रिपुरारी प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक-2142 दिनांक 08.03.2021 द्वारा सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नहीं आपको पुलिस निरीक्षक की कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में दिये गये स्थानापन्न प्रोन्नति को रद्द करते हुए आपकी सेवा पुलिस मुख्यालय को लौटाई जाय एवं सभी परिणामी लाभ वापस ले लिया जाय।

6. उक्त निदेश के आलोक में श्री त्रिपुरारी प्रसाद ने दिनांक 12.03.2021 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई तथा उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक समीक्षा के उपरान्त श्री त्रिपुरारी प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि (बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक के पद वेतनमान लेवल-9 में) में विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक 29.01.2019 द्वारा दी गई स्थानापन्न प्रोन्नति को रद्द किया जाता है।

7. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 709-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>